कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-12/2023/I/435766/2023/86-01099/136/2019

प्रेषक,

अनिल कुमार-III,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 29 नवम्बर, 2023

विषयः- अवैध खनन एवं परिवहन रोकने हेतु कार्यबल का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या-616/86-2018-371/2005, दिनांक 20.03.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश में अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 07 सदस्यीय जनपद स्तरीय कार्यबल (Task force) का गठन किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उक्त जनपद स्तरीय कार्यबल (Task force) में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त (DCP), अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/प्रभारी खनन, सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) तथा जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खनन निरीक्षक को भी सम्मिलित करते हुये प्रश्नगत कार्यबल की संरचना निम्नवत् निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमिश्नर द्वारा नामित पुलिस उपायुक्त (DCP)	सदस्य
3.	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/प्रभारी खनन	सदस्य
4.	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
5.	उपजिलाधिकारी	सदस्य
6.	पुलिस क्षेत्राधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त (ACP)	सदस्य
7.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
8.	जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खनन निरीक्षक (खान अधिकारी नियुक्त न होने की दशा में)	सदस्य/ सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. साथ ही यह भी मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अब उपरोक्तानुसार गठित 08 सदस्यीय कार्यबल द्वारा प्रदेश में अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु प्रत्येक माह 02 औचक निरीक्षण के साथ-साथ नियमित रूप से प्रवर्तन कार्य किया जाय। कार्यबल द्वारा प्रत्येक सप्ताह अवैध खनन/परिवहन की सघन चेकिंग की जाय तथा उक्त सूचना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक नियमित रूप से ई-मेल cmo.lko62@gmail.com पर उपलब्ध करायी जाए।

जनपद स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में आपके द्वारा स्वयं प्रवर्तन कार्यों की प्रभावी समीक्षा तथा प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यों में शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों व कार्य से संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध नियमों के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
अनिल कुमार-।।।
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांकः उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश को इस निदेश के साथ प्रेषित कि कृपया जनपदों से कार्यबल द्वारा प्रेषित मासिक रिपोर्ट को संकलित कर उसके आधार पर एक समेकित रिपोर्ट संस्तुति सहित प्रतिमाह शासन को उपलब्ध करायी जाय।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खनन निरीक्षक,उत्तर प्रदेश। (द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश)
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विजय कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।